17/6/25

वकील कटारिया 300/- वकील कटारिया की वकील का मामला लिया गया। मामला आज प्रार्थना पत्र आधार का पेश किया है कि अभि मामला न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही व कार्योपरान्त की है। बयान होने तक अभि नीलामी स्थगित करी जावे। वकील न्यायालय का मानना है कि अभि पक्षकारान की संपूर्ण कार्यवाही की संपूर्ण करना है। मामला न्यायालय के विचार किसी अन्य न्यायालय कार्य करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना मामला व्यापक किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के उपस्थित जावेदी का अवलोकन किया गया तो मेरे अभि मामला न्यायालय के संपूर्ण कार्यवाही पर है। विचार बंदकर आदेश तक नहीं कुर्की जारी अभि की मामला विचाराधीन प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना मामला विचार न्यायालय अधिक विचार किया जावे। उपखण्ड अधिकारी करौली की मौजूदगी में मामला संख्या 5 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि मौजा [illegible] तहसील करौली की मौजूदगी में मामला की मामला लिया गया। पत्रावली [illegible] के कारण विचार मूल रूप से [illegible] आदेश प्रदान करना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)